भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 288
5 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: संधारणीय खेती
288. श्री सुशील कुमार रिंकू:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब में संधारणीय खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने और कीटनाशकों के आदानों के उपयोग को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पंजाब में कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच और उचित मूल्य के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार के पास पंजाब में किसानों की आय और आजीविका में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, सरकार वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) क्रियान्वित कर रही है। पीकेवीवाई को पूर्वोत्तर राज्यों जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) नामक अलग योजना लागू है, को छोड़कर पंजाब राज्य सहित देश भर के सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं के तहत, किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा उन्हें जैविक उत्पादों के उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन, प्रमाणीकरण एवं विपणन में समग्र रूप से सहायता प्रदान की जाती है।

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि पंजाब राज्य विशेष रूप से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीकेवीवाई योजना को बढ़ावा दे रहा है। पंजाब राज्य का पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक सरकारी संस्थान वर्ष 2015 से पंजाब राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब राज्य में, पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की देखरेख में 2000 किसान 5000 एकड़ में जैविक खेती करते हैं।

पीकेवीवाई के तहत किसानों को अपने जैविक उत्पादों को खरीदारों तक सीधे विपणन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 3 वर्षों के लिए 15.0 लाख रुपये प्रति 1000 हेक्टेयर

क्लस्टर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, किसानों से जैविक उत्पादों की सीधी खरीद में सहायता के लिए ब्रांडिंग, प्रचार, प्रदर्शनी, व्यापार मेलों और अन्य विपणन पहलों के लिए 3 वर्षों के लिए 53.0 लाख रुपये प्रति 1000 हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के लिए जैविक उपज के सीधे विपणन के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में समर्पित वेब पोर्टल- www.Javikkhiti.in/ बनाया गया है।

सरकार फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी में जैविक नियंत्रण दृष्टिकोणों जिसमें मुख्य जोर अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, कीटनाशकों के उपयोग में सावधानी, नाशीजीव प्रबंधन के लिए वैकल्पिक उपकरणों नामतः कीट नियंत्रण के कल्चरल, भौतिक, यांत्रिक तरीकों के साथ-साथ जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रण एजेंटों के उपयोग को बढ़ावा देने के अन्य बातों के साथ-साथ फसलों में प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित 35 केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्रों के माध्यम से 'वनस्पति संरक्षण एवं पादप संगरोध उप-मिशन' भी क्रियान्वित कर रही है।

जैविक खेती किसानों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करती है और लाभ में वृद्धि करती है। तथापि, पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि किसानों के जैविक उत्पादों के विपणन के लिए, पंजाब एग्रो एमएसपी से ऊपर प्रीमियम कीमतों पर जैविक उत्पाद खरीदता है। पंजाब एग्रो के जैविक उत्पाद "फाइव रिवर" ब्रांड के तहत भी बेचे और निर्यात किए जाते हैं। जैविक उत्पादों के विपणन के संबंध में, पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजाब राज्य के विभिन्न स्थानों पर जैविक किसानों को जैविक उत्पाद जैसे फल और सब्जियां तथा अन्य जैविक उत्पाद आदि बेचने के लिए बाजार सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पंजाब के विभिन्न जिलों में किसानों के जैविक उत्पादों के विपणन के लिए ऑर्गेनिक हट्स की स्थापना की है।

******